

1 : विविध प्रकरण संख्या 01/2024 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम ओमप्रकाश वगैरा

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 04/2024

GCMS No. : 2024/6

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
जरिये सरकार नारायणसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. श्री मोतीलाल पुत्र नाथाराम जाति घांची निवासी सोमेसर मैसर्स अबुर्दा किराणा स्टोर भादरलाउ चौराहा सोमेसर जिला पाली 2. श्री कृष्णा अग्रवाल पुत्र श्री महेश अग्रवाल मैसर्स मां शक्ति मार्केटिंग 691 सुन्दर नगर पाली राजस्थान 3. जमनसिंह पुत्र श्री अचलुराम मैसर्स शिवम् ट्रेडर्स प्लॉट नम्बर 01 सीता विहार योजना सरदारसमंद रोड झालामण्ड जोधपुर
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा		

52

उपस्थित :-

- खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
- अप्रार्थीगण उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक : 28-2-2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 25.04.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की दुकान अबुर्दा किराणा स्टोर भादरलाउ चौराहा सोमेसर पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम मोतीलाल पुत्र नाथाराम बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। दुकान के निरीक्षण के दौरान पॉम ऑयल के 08-10 पैकेट 01 लीटर की पैकिंग में एक कार्टुन में रखे हुए थे, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने पॉम ऑयल का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैंने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये ओमप्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की पॉम ऑयल का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में पॉम ऑयल 01 लीटर के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 640/-रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा पॉम ऑयल के पैकेट को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1952 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया पॉम ऑयल का नमुना संख्या आर-1952 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/2071/एक्ट/2023/2112 दिनांक 8.8.2023 के अनुसार Sub-standard(अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard(अवमानक) पॉम ऑयल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम



*Sub*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली (राज.)

2 : विविध प्रकरण संख्या 01/2024 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम ओमप्रकाश वगैरा

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। अप्रार्थीगण के यहां पॉम ऑयल का निर्माण नहीं किया जाता है न ही किसी प्रकार की मिलावट की जाती है। थोक विक्रेता से जिस पैकिंग अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है उसमें किसी प्रकार की मिलावट या फेरबदल नहीं की जाती है। अतः अप्रार्थीगण पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्ड अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.04.2023 को अप्रार्थी की दुकान से पॉम ऑयल वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1952 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये पॉम ऑयल का नमूना कोड संख्या आर-1952 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया पॉम ऑयल का नमूना Sub-standard (अवमानक) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) पॉम ऑयल का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पर 10,000/-, 10,000/- रुपये तथा अप्रार्थी संख्या 03 पर 25,000/- पच्चीस हजार रुपये कुल 45,000/- पैंतालिस हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैंसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



*[Signature]*

(डॉ राजेश गोयल)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 28-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*[Signature]*

(डॉ राजेश गोयल)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली